रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042024-253704
SG-DL-E-13042024-253704

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2024/चैत्र 21, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 09
No. 115]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2024/CHAITRA 21, 1946	[N. C. T. D. No. 09

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

फा0 सं0 50(5)/डीसी/स्था0/2023/Hfw/2024/13.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना संख्या फा0 53/144/94–स्वा0 एवं परि0 कल्या0/4052 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद्द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :–इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी) के पद हेतु भर्ती नियम

<table>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td>:</td><td colspan="2">कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td>:</td><td colspan="2">01 (2024)
*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td>:</td><td colspan="2">सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित समूह–ख</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतन मैट्रिक्स में स्तर</td><td>:</td><td colspan="2">7
अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7 (रुपये 44,900–1,42,400/–)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद</td><td>:</td><td colspan="2">चयन पद</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td>:</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="7">7.</td><td rowspan="7">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता</td><td rowspan="7">:</td><td colspan="2">अनिवार्य</td></tr>
<tr><td>योग्यता :
लागू नहीं</td><td>अनुभव :
लागू नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">वांछनीय</td></tr>
<tr><td>योग्यता :
लागू नहीं</td><td>अनुभव :
लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>योग्यता संबंधी मानक टीप :</td><td>अनुभव संबंधी मानक टीप :</td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लगू नहीं</td></tr>
</table>

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा**	:	आयु : लागू नहीं

	पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं	
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदान्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति**	**प्रतिशत**
			पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पकालिक संविदा सहित	100
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (रुपये 35,400–1,12,400/–) में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** 1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/स्वायत्त या वैधानिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता–प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (रुपये 35,400–1,12,400/–) अथवा समकक्ष के पदों में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित। **तथा** (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्माकोलॉजी/शरीर विज्ञान/प्राणी विज्ञान/ फार्मेसी में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। **अथवा** (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या वन स्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। **मानक टीप :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवादो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक	

			पूरी करली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी करली है। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।	
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति–** 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/ प्रधान सचिव (गृह) –**अध्यक्ष** 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव –**सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) –**सदस्य**	**विभागीय स्थायीकरण समिति–** लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	**संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है**	

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविंद कुमार, उप–सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the10th April, 2024

F. No. 50(5)/DC/Estt./2023/Hfw/2024/13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of this Government's Notification No. F.53/144/94-H&FW/4052 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer (Pharmacology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement-**

   (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Junior Scientific Officer (Pharmacology) Recruitment Rules, 2024

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Pay Level in the Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.-**No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Scientific Officer (Pharmacology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether Selection Post/Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Scientific Officer (Pharmacology)	01 (2024) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Ministerial, Gazetted Group-B	7 Remark: Level 7 (Rs. 44900 – 142400)in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable

Educational and other Qualification required for Direct Recruits		Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		Age : NA Edu. Qual : NA	N.A.	**Method**	**Percentage**
Qualification: Not Applicable	**Experience:** Not Applicable			Promotion failing which by Deputation Including Short Term Contract	100
Desirable					
Qualification: Not Applicable	**Experience:** Not Applicable				
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**				
NA	NA				

In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
11
Promotion: Senior Scientific Assistant (Pharmacology) in level 6 (Rs. 35400 – 112400) In the pay matrix with 5 years regular service in the grade and having successfully completed training of 02 weeks as prescribed by the Competent Authority **Deputation (Including short-term contract):** 1. Officers of the Central Government/ State Government/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organisation/ PSUs/ Universities/ Recognized Research Institutions: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis: or (ii) With 5 years regular service in posts of level 6 (Rs. 35400 – 112400) in the pay matrix or equivalent **and** (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (A) (i) Post Graduate Degree in Pharmacology/ Physiology/ Zoology/ Pharmacy from a Recognized University or Institute; (ii) Three Years' Experience in the field of Pharmacological testing of drugs from a recognized Institution. **OR** (B) (i) Bachelor Degree in Pharmacy or Bachelor Degree in Science with Chemistry or Botany or Zoology as one of the subjects from a Recognized University or Institute; (ii) Five years' Experience in the field of Pharmacological testing of Drugs from a recognized Institution. **Standard Note:** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 02 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12		13
Departmental Promotion Committee 1. Addl Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home) (**Chairman)** 2. Administrative Secretary of the Department **Member)** **3.** Special/ Addl Secretary (UD) (**Member)**	**Departmental Confirmation Committee** NA	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor,

ARVIND KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.13 15:28:47 +05'30'